देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

रेफरेंस संख्या –2022/mmp/20 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 5 मई 2022

देश मे कुकुरमुत्ते जैसी पनप रही अवैध कॉलोनियाँ .....सुप्रीम कोर्ट

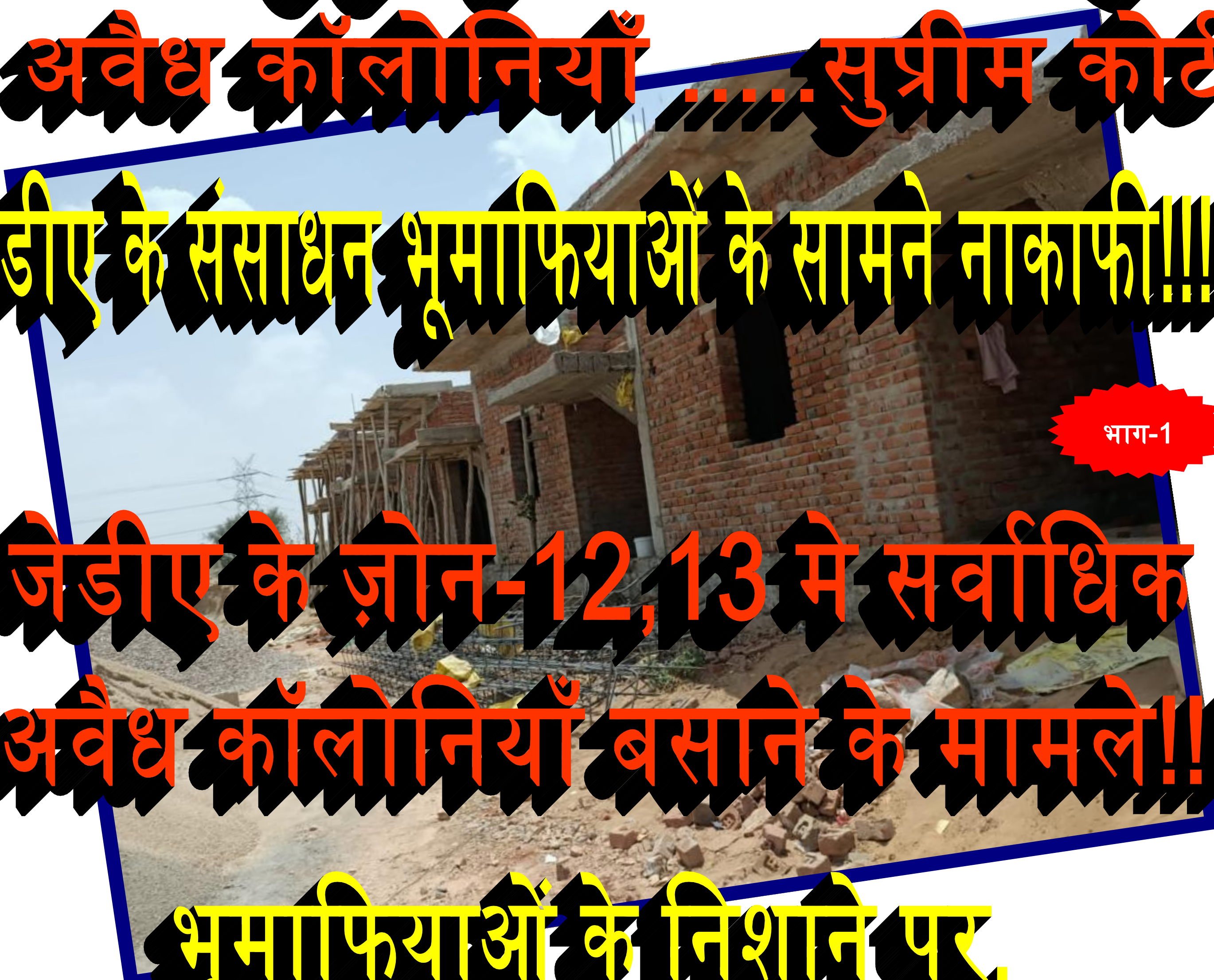

जेडीए के संसाधन भूमाफियाओं के सामने नाकाफी!!!!

भाग-1

जेडीए के ज़ोन-12,13 मे सर्वाधिक अवैध कॉलोनियाँ बसाने के मामले!!!

भूमाफियाओं के निशाने पर, घर का सपना देखने वाले गरीब परिवार!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट 'देश में अवैध कॉलोनियां कुकुरमुत्ते जैसे पनप रहीं- सुप्रीम कोर्ट... और ये ऐसी कॉलोनियों पर जेडीए की जीरो टॉलरेंस नीति की सच्चाई

जेडीए का दावा- 3 साल में 456 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त कीं, सच- 50% फिर से बसीं, फैक्ट्रियां व कॉम्प्लेक्स तक बन गए

अवैध कॉलोनियों की बसावट खातेदारी जमीन पर बिना लैंड यूज चेंज करवाए हुई

इमरान खान | जयपुर

देश में भी अवैध कॉलोनियां बेरोकटोक बस ही हैं। खुद राजधानी जयपुर में ही मास्टर प्लान विपरीत सैकड़ों अवैध कॉलोनियां धड़ल्ले से स रही हैं। मास्टर प्लान के अनुरूप शहर के वलपमेंट के लिए जिम्मेदार जेडीए का दावा कि पिछले 3 साल में अवैध रूप से बस ही 456 कॉलोनियों को ध्वस्त किया। जबकि कीकत यह है कि जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने नन स्थानों पर कार्रवाई की, उनमें से 150-200 अवैध कॉलोनियां फिर से बस गईं। इन कॉलोनियों रिहायशी मकानों के साथ कई जगह वेयर उस, व्यावसायिक गोदाम, दुकानें तक बन गईं। यादातर अवैध कॉलोनियों की बसावट खातेदारी मीन पर बिना लैंड यूज चेंज करवाए हुई। इसके लावा आगरा रोड इकोलॉजिकल जोन में कई उसिंग सोसायटियां साठ-गांठ कर सैकड़ों लोनियां बसा रही हैं। सीकर रोड, चंदवाजी, जमेर रोड, टोंक रोड, जगतपुरा, आकेड़ा डूंगर, मूं में भी मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाकर हायशी के साथ अवैध इंडस्ट्रीयल एरिया तक स रहे हैं। शेष | पेज 5

आगरा रोड इकोलॉजिकल जोन में हाउसिंग सोसायटियां साठ-गांठ कर बसा रही हैं सैकड़ों कॉलोनियां

केस-1 : अवैध वेयर हाउस तक बन गए

इलाका: जोन-2, 17-नम्बर बस स्टैंड, आकेड़ा

कार्रवाई 17 अक्टूबर 2021: बिना अनुमति बन रहे 6 व्यावसायिक गोदामों और दुकानों को नोटिस देकर ध्वस्त किया।

अब स्थिति: इसी जगह एक दर्जन से अधिक गोदाम, कई बड़े व्यावसायिक गोदाम व कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। प्रवर्तन शाखा ने खानापूर्ति के लिए नोटिस दे रखे हैं।

केस-2 : सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया, लेकिन अवैध ड्यूप्लेक्स छोड़े

इलाका: जोन-2, अखेपुरा, आकेड़ा डूंगर बांध का भराव क्षेत्र

कार्रवाई 9 फरवरी 2021: बांध पेटे में निजी खातेदारी और सरकारी जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में दो दर्जन से अधिक निर्माण ध्वस्त किए।

अब स्थिति: हाल ही यहां फिर से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ तो जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया लेकिन पूर्व में ध्वस्त की जा चुकी निजी खातेदारी जमीन पर वापस बस रही कॉलोनी सहित 20 डुप्लेक्स छोड़ दिए।

पिछले 4 साल में कितनी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई				
	2019	64	2021	134
	2020	140	2022	125

जेडीए ने गार्ड लगाए, उन्हीं की मौजूदगी में अवैध बसावट

जोन 11 में मदरामपुरा, जोन-13 में लक्ष्मीनारायणपुरा, जोन 10 में आगरा रोड पर अवैध निर्माण रोकने के लिए जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गार्ड तैनात किए। वहां गार्ड की मौजूदगी में ही कॉलोनी और अवैध विला बस गए। इकोलॉजिकल जोन सुमेल में जयसिंहपुरा रोड पर 20-20 बीघा में सैकड़ों विला बनकर बिक रहे हैं। जबकि इकोलॉजिकल जोन में होने से इन योजनाओं का नियमन भी नहीं हो सकता। इसी तरह आगरा रोड के दोनों ओर बड़े-बड़े व्यावसायिक निर्माण हो गए। अवैध व्यावसायिक निर्माण को लेकर पिछले दिनों सांसद किरोड़ी लाल मीणा और विधायक रफीक खान आमने-सामने भी हो गए थे।

सीधी बात

रघुवीर सैनी, प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक

जेडीए अवैध कॉलोनियां बसने से रोक नहीं पा रहा, क्या कारण है?

ऐसा नहीं है, शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। कई जगह अवैध कॉलोनी बसाने वाले एसडीएम स्तर से स्टे ले आते हैं, जबकि उनका क्षेत्राधिकार ही नहीं है। अवैध कॉलोनियों की लिस्ट जेडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आमजन को भी अवैध कॉलोनियों में मकान-प्लॉट खरीदने से बचना चाहिए। प्रवर्तन शाखा अवैध कॉलोनियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, रोजाना कार्रवाई की जा रही है।

फिर अवैध कॉलोनियां वापस कैसे बस रही हैं?

संसाधन सीमित हैं, मैन पॉवर की कमी है। इसलिए मॉनटरिंग नहीं हो पा रही है। दोबारा अवैध बसाहट के मामले सामने आए तो वहां भी कार्रवाई की है।

देश मे कुकुरमुत्ते जैसी पनप रही अवैध कॉलोनियाँ .....सुप्रीम कोर्ट

गत माह एक मामले मे शहरो मे अवैध तरीको से बसने वाली कॉलोनियों के संबंध मे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश भर में कुकुरमूत्ते की तरह अवैध कॉलोनियों के फैलने से शहरी विकास के रास्तें में बड़ा खतरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों के पास इस तरह के अवैध कॉलोनियों से निपटने और उसे बनने देने से रोकने के लिए एक समग्र प्लान की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में गोपाल शंकरनारायण को कोर्ट सलाहकार नियुक्त किया है और सुझाव मांगा है कि सरकार इन अवैध कॉलोनियों को रोकेन के लिए क्या कर सकती है ये बताएं।सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों की मशरुमिंग (कुकुरमुत्ते) की तरह फैलने से देश भर के शहरों में नतीजे भयानक हो रहे हैं। हमने हैदराबाद और केरल की बाढ़ देखी है। यह सब सिर्फ अवैध कॉलोनियों की वजह से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे रोकने के लिए राज्य सरकार के पास समग्र योजना होनी चाहिए। हमें देखना होगा कि राज्य सरकार कैसे इस पर काम करेगी। यह सब शहरी विकास के रास्ते में खतरा है। शीर्ष अदालत ने कोर्ट सलाहकार से कहा है कि वह दो हफ्ते में सुझाव पेश करें।

सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने कोर्ट सलाहकार को इस बात की इजाजत दे दी है कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सवाल तैयार कर भेजें। मामले की सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट श्रवण कुमार ने कहा कि बड़ी संख्या में अवैध निर्माण होने से शहरों में अनरेग्युलेटेड विकास हो रहा है। अवैध निर्माण के कारण बाढ़ आ रही है। देश भर में रेग्युलर और सही तरीके से विकास करने की जरूरत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकारें अवैध एक्ट को रेग्युलर कर रही है। और यह अवैध निर्माण रीयल ईस्टेट माफिया कर रहे हैं इसमें सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत है। इस कारण राज्यों में बाढ़ आ रही और और ट्रैफिक जाम हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम की कमी हो गई है। लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। प्रॉपर्टी के साथ जीवन का नुकसान है।

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

सुप्रीम कोर्ट की चिंता से जेडीए भी सहमत,मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के निर्देशन मे पिछले 3 सालो मे 296 अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त

विगत 3 सालों मे जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के नेतृत्व मे सैंकड़ों अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाये गए है,जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 3 सालों मे 296 अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है|लेकिन इसके बावजूद जेडीए के बाहरी इलाकों मे इन अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आई हुई है|हालांकि सीमित संसाधनो और मेन पावर के बावजूद जेडीए की कार्यवाही जारी है|और अवैध कॉलोनियों के पुनः बस जाने पर भी त्वरित कार्यवाही कर उन्हे ध्वस्त किया जा रहा है|

जेडीए के ज़ोन-12,13 मे सर्वाधिक अवैध कॉलोनियाँ बसाने के मामले!!!

जेडीए रिकॉर्ड के अनुसार पिछले ढाई महीनो मे 66 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है इनमे सर्वाधिक मामले ज़ोन 12,13 से संबन्धित है,जेडीए द्वारा इन ढाई महीनो मे इन दोनों ज़ोनो मे 15-15 अवैध कॉलोनियाँ ध्वस्त की गयी है|लेकिन इसके बावजूद भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है और जेडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के बावजूद कॉलोनियाँ बसती जा रही है|

भूमाफियाओं के निशाने पर,घर का सपना देखने वाले गरीब परिवार!!!

भूमाफियाओं के निशाने पर अक्सर गरीब और निम्न मध्यम परिवार रहते है,चूंकि यह परिवार प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के कारण बड़े बिल्डरों के मकान/फ्लेट खरीदने मे असमर्थ होते है,जिसका फायदा अवैध कॉलोनियाँ बसाने वाले भूमाफिया उठाते है और मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों की जीवन भर की जमा-पूंजी घर का सपना दिखाकर हड़प लेते है|

पेज 1 का शेष...

जेडीए का दावा- 3 साल में 456 अवैध...

केस-3: डेढ़ साल बाद फिर अवैध कॉलोनी की बसावट

इलाका: जोन-10, जयसिंहपुरा रोड, जैन मंदिर के पास

कार्रवाई 28 दिसम्बर 2020: एक बीघा कृषि भूमि पर बिना अनुमति बसाई जा रही आवासीय कॉलोनी के लिए बन रही सड़क और अन्य निर्माण ध्वस्त किए।

अब स्थिति: यहां अवैध कॉलोनी बसाने का काम फिर शुरू हुआ। मौके पर पुरानी चारदीवारी की आड़ में सड़क बनाने के साथ ही अवैध निर्माण शुरू हो गए हैं।

केस-4: फैक्ट्रियां, दुकानें, व्यावसायिक गोदाम तक बने

इलाका: जोन-13, भैरु खेजड़ा, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, हरमाड़ा

कार्रवाई 2 सितम्बर 2021: जेडीए दस्ते ने भैरु खेजड़ा में 10 बीघा कृषि भूमि पर बन रहे अवैध गोदाम और अन्य निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया।

अब स्थिति: मौके पर लगभग एक बीघा में चारदीवारी और अवैध फैक्ट्री, तीन-चार व्यावसायिक गोदाम बन चुके हैं। जबकि मौके पर पूर्व में हो चुकी कार्रवाई में तोड़े गए पिलर ज्यों के त्यों खड़े हैं।

केस-5: दो बार कार्रवाई, फिर भी डुप्लेक्स बने, प्लॉटिंग जारी

इलाका: जोन 12, दौलतपुरा, बेनाड़ रोड

कार्रवाई 12 नवंबर 2020: छह बीघा निजी खातेदारी और करीब एक बीघा सरकारी जमीन पर वैशाली नगर के नाम से बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य ध्वस्त किए। यहां दो बार कार्रवाई हो चुकी।

अब स्थिति: मौके पर निर्माण कार्य जारी है और करीब चार डुप्लेक्स बनने के साथ प्लॉटिंग जारी है। कागजों में कॉलोनी बिक रही है, मिट्टी खनन किया जा रहा है।

जेडीए द्वारा विगत ढाई माह मे ध्वस्त की गयी अवैध कॉलोनियों की सूची

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषयः–दिनांकः 01.02.2022 से 21.04.2022 तक प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा ध्वस्त की गई अवैध कॉलोनियों को जेडीए वेबसाईट पर अपलोड़ करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रवर्तन शाखा द्वारा दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 31.01.2022 तक कुल 296 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जाकर सूची जेडीए की वेबसाईट पर अपलोड करवाया गयी है; इसी कम में दिनांक 01.02.2022 से 21.04.2022 तक प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा ध्वस्त की गई **कुल–66** अवैध कॉलोनियो को जेडीए की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार जोनवार सूची (कुल पृष्ठ–26)

24/04/2022
(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक–प्रवर्तन,

सिस्टम एनालिस्ट,
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः–जविप्रा/मुनिप्र/2022/डी–1068 दिनांक 25/04/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ सादर प्रेषित हैः–

1. आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।

24/04/2022
(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक–प्रवर्तन

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - (+91-141-2570640) ; ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय); फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : (CCEJDA31@gmail.com)

क.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजि भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	2	03.03.2022	जोन–02 के क्षेत्राधिकार ग्राम–अखेपुरा में अवस्थित करीब 06 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही मिटटी की सडके व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		06 बीघा	1
2	2	03.03.2022	जोन–02 के क्षेत्राधिकार दिल्ली रोड हाइवे से लगती हुई ग्राम–लक्ष्मीनारायणपुरा में अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही मिटटी की सडके व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
3	2	31.03.2022	जोन–02 के क्षेत्राधिकार में ग्राम–अखेपुरा क्षेत्र में अवस्थित करीब 08 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये रातो–रात बसायी जा रही नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		08 बीघा	1
4	2	31.03.2022	जोन–02 के क्षेत्राधिकार में ही अवस्थित करीब 06 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		06 बीघा	1
5	2	20.04.2022	जोन–02 के क्षेत्राधिकार सफेदा फार्म हाउस के पीछे ग्राम–सिसियावास क्षेत्र अवस्थित में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये सालासर व्यास के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसोने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
6	2	20.04.2022	जोन–02 के क्षेत्राधिकार सफेदा फार्म हाउस के पीछे ग्राम–सिसियावास क्षेत्र में ही अवस्थित दूसरी करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसोने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
7	2	20.04.2022	जोन–02 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम–आकेडा क्षेत्र में दिल्ली अजमेर बाईपास रोड़ से लगती हुई करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये सालासर व्यास के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसोने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1

क्र.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजि भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	7	26.02.2022	जोन–07 के क्षेत्राधिकार ग्राम धावास के पास अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर प्रतापपुरी–प्रथम के नाम से बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिये बनायी गई ग्रेवल रोडस, बाउन्ड्रीवाल, निर्माणधीन 05 दुकानो के स्ट्रेक्चर इत्यादि को दिनांक 20.01.2022 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ विगत दिवस में रातो–रात बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
2	7	26.02.2022	जोन–07 के क्षेत्राधिकार 200 सेक्टर रोड के पास ग्राम–धावास में ही दुसरी करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर प्रतापपुरी–द्वितीय के नाम से बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिये बनायी गई ग्रेवल रोडस, बाउन्ड्रीवाल, को दिनांक 20.01.2022 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ विगत दिवस में रातो–रात बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1

क्र.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजि भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	8	04.02.2022	जोन–08 के क्षेत्राधिकार डिग्गी रोड एलएनटी मार्ग पर अवस्थित करीब 09 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर हरिहन्त विहार के नाम से बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही मटटी, ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को दिनांक 27.01.2022 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही मटटी, ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		09 बीघा	1
2	8	12.04.2022	जोन–08 के क्षेत्राधिकार में शिकापुर रोड पर अवस्थित ग्राम–बम्बाला में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर शिव विहार कॉलोनी के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल, छत हाईट तक किये गये 02 अवैध निर्माण व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसोने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1

क.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजि भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	10	03.02.2022	जोन–10 के क्षेत्राधिकार ईकोलॉजिकल जोन में खो–नागोरीयान थाना शमशान के पास अवस्थित करीब 01 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		01 बीघा	1
2	10	03.02.2022	जोन–10 के क्षेत्राधिकार ईकोलॉजिकल जोन में खो–नागोरीयान मोड के पास अवस्थित दूसरी करीब 01 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		01 बीघा	1
3	10	23.02.2022	जोन–10 के क्षेत्राधिकार ग्राम–जयसिंहपुरा–खोर में अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनायी जा रही बाउन्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
4	10	23.02.2022	जोन–10 के क्षेत्राधिकार रोपाडा के पास ग्राम–खोरी में अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल, पत्थरगढी व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
5	10	22.03.2022	जोन–10 का क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में रोपाडा के पास अवस्थित ग्राम–खोरी में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बनायी गई ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल, मुडीया, डीमार्केशन इत्यादि अवैध निर्माण को 19.01.2022 व 23.02.2022 को ध्वस्त किया गया था, उक्त भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनायी जा रही ग्रेवल सडके, मुडिडया व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
6	10	29.03.2022	जोन–10 के क्षेत्राधिकार ईकोलॉजिकल जोन में जमवारामगढ़ रोड नायला मोड़ पर अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1

7	10	29.03.2022	जोन–10 के क्षेत्राधिकार ईकोलॉजिकल जोन में जमवारामगढ़ रोड़ नायला मोड पर अवस्थित दूसरी करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
8	10	11.04.2022	जोन–10 के क्षेत्राधिकार ईकोलॉजिकल जोन में ग्राम–बगराना में रोड़वेज बस डिपो के पीछे जविप्रा स्वामित्व की करीब 05 बीघा सरकारी भूमि पर गणपति नगर विस्तार के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनाथ अवैध रूप से बनायी जा रही मिट्टी–ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर जविप्रा स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को अवैध कब्जे–अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।	05 बीघा		1
9	10	11.04.2022	जोन–10 के क्षेत्राधिकार ईकोलॉजिकल जोन में ग्राम–बगराना में ही दूसरी जगह पंचायत समिति के पास जविप्रा की करीब 04 बीघा सरकारी भूमि पर राम नगर कॉलोनी के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनाथ भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर जविप्रा स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को अवैध कब्जे–अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।	04 बीघा		1

क्र.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजि भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	11	04.02.2022	जोन–11 के क्षेत्राधिकार अजमेर रोड पर ग्राम–जससिंहपुरा में अवस्थित करीब 09 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर कमला रेजीडेन्सी के नाम से बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवड सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		09 बीघा	1
2	11	09.02.2022	जोन–11 के क्षेत्राधिकार ग्राम–नेवटा में अवस्थित जयसिंहपुरा बास के खसरा नं. 97 में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
3	11	23.02.2022	जोन–11 के क्षेत्राधिकार नेवटा में अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1

4	11	23.02.2022	जोन–11 के क्षेत्राधिकार ग्राम–कालवाड में अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
5	11	23.02.2022	जोन–11 के क्षेत्राधिकार ग्राम–जयसिंहपुरा में ओ.आर.विला के पीछे अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही बाउन्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
6	11	23.03.2022	जोन–11 के क्षेत्राधिकार नेवटा के पास अवस्थित ग्राम–खातीपुरा में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
7	11	26.03.2022	जोन–11 के क्षेत्राधिकार मुहाना मंडी के सामन अवस्थित ग्राम–केशावाला में अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के रातो–रात बने एक मकान के निर्माणाधीन स्ट्रेक्चर, ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1

क्र.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजि भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	12	10.02.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार ग्राम–कालवाड में मण्डाभोपावास रोड पर अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर प्रज्ञा विहार के नाम से बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
2	12	10.02.2022 पुनः 10.03.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार जोबनेर रोड पर अवस्थित ग्राम–पचार में करीब 08 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर लक्ष्मी विहार के नाम से बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		08 बीघा	1

3	12	15.02.2022 पुनः 10.03.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार कालवाड रोड पार्थ सिटी के पीछे अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर गणपति विहार नाम से बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
4	12	22.02.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार सिरसी रोड सिवार फाटक के पास में अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी आशु सिटी के नाम से बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के निर्माणाधीन 07 अवैध विलाजो को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
5	12	22.02.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार सिरसी रोड सिवार फाटक के पास में अवस्थित दूसरी करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी मंगल विहार के नाम से बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1
6	12	22.02.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार गांव–सिवार में अवस्थित करीब 01 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी तेजाजी नगर के नाम से बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल दो निर्माणाधीन अवैध विलाज व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		01 बीघा	1
7	12	22.02.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार गांव–सिवार में अवस्थित दूसरी करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही बाउन्ड्रीवाल, 05 पानी के हौद व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
8	12	22.02.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार सिरसी रोड पर अवस्थित गांव–सिवार मोड पर करीब 15 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी ओम वाटिका–23 के नाम से बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, मिटटी की कच्ची सडके, व अन्य अवैध निर्माण का दिनांक 11.08.2021 को ध्वस्त किया गया था; जिसे प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		15 बीघा	1

9	12	26.02.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार भाकरोटा मुकुन्दपुरा बासडी में अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये गोविन्द नगर के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल, टीनशेडनुमा अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
10	12	10.03.2022	जोन–12 का क्षेत्राधिकार कालवाड़ रोड़ पर अवस्थित खण्डाका हास्पिटल के पीछे करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति भूमि को समतल कर बनायी रही मिटटी की सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
11	12	10.03.2022	जोन–12 का क्षेत्राधिकार जोबनेर रोड़ पर अवस्थित ग्राम–पचार करीब 08 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर लक्ष्मी विहार के नाम से बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बनायी गई ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल इत्यादि को पूर्व में दिनांक 10.02.2022 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति भूमि को समतल कर बनायी रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		08 बीघा	1
12	12	10.03.2022	जोन–12 का क्षेत्राधिकार कालवाड रोड पार्थ सिटी के पीछे अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बनायी गई ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को पूर्व में दिनांक 15.02.2022 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति भूमि को समतल कर बनायी रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
13	12	08.04.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार में रॉयल सिटी हाथोज के पीछे अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये मंगल विहार के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
14	12	08.04.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार में ही ग्राम–लालचंदपुरा में अवस्थित करीब 08 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये श्री राम नगर–द्वितीय के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		08 बीघा	1
15	12	19.04.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार में कालवाड़ रोड पर अवस्थित ग्राम–चम्पापुरा में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये श्याम विहार के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसोने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1

क.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजि भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	13	03.02.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार ग्राम–हीरावाला के खसरा नं. 64 परमानन्द फार्म के पास, जमवारामगढ़ रोड पर अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
2	13	25.02.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार सीकर रोड पर अवस्थित ग्राम–मोटू का बास के खसरा नम्बर 11 में करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिये डाली गई ग्रेवल सडको व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1
3	13	02.03.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार ग्राम बस्सी में अवस्थित जैन नसियां के पास करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
4	13	02.03.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार ग्राम बस्सी में ही अवस्थित दूसरी करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1
5	13	02.03.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार ग्राम बस्सी में ही अवस्थित तीसरी करीब 07 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		07 बीघा	1
6	13	02.03.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार ग्राम बस्सी में ही पांच सौ मीटर दूरी पर अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही मिटटी की सडके व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1

7	13	08.03.2022	जोन–13 का क्षेत्राधिकार ग्राम–जुगलपुरा हल्का चिताणुकला निम्स युनिवर्सिटी के सामने करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बनायी जा रही मिटटी व ग्रेवल सडकों को पूर्व में दिनांक 02.09.2021 को ध्वस्तीकरण किया गया था। संबंधित अवैध कॉलोनी बसाने वालो से जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 37(2) के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का खर्चा कुल राशि 72,888 रूपये जरीये चालान दिनांक 20.03.2021 को जेडीए कोष में जमा करवाये गये। उक्त कॉलोनी पुनः बसाने के प्रयोजनार्थ सडको को पुनः ठीक करने गैर मुमकिन नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर सडक बनाने व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1
8	13	12.03.2022	जोन–13 का क्षेत्राधिकार टाटयावास टॉल प्लाजा के अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये बालाजी मार्केट के नाम से नवीन अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
9	13	23.03.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार न्यू ट्रान्सपोर्ट नगर के पास ग्राम–सेवापुरा में अवस्थित कचरा प्लांट के पास निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये एग्रो वेयर हाउस के नाम से अवैध रूप से व्यावसायिक गोदामो के लिए नवीन अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।			1
10	13	24.03.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार ग्राम–बस्सी में अवस्थित जैन नसियां के पास अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को पूर्व में दिनांक 02.03.2022 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सडको को पुनः ठीक कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1

11	13	24.03.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार ग्राम–बस्सी में अवस्थित दूसरी करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1
12	13	24.03.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार ग्राम–बस्सी में अवस्थित तीसरी करीब 07 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		07 बीघा	1
13	13	24.03.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार ग्राम–बस्सी में ही 500 मीटर दूरी पर अवस्थित करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के समतल कर बनायी जा रही मिट्टी की सडके व अन्य अवैध निर्माण प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
14	13	21.04.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार में बस्सी तुंगा रोड, अनाज मण्डी नईनाथ रोड पर बलबेरी से आगे की तरफ विगत दिवसो में रातो–रात करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये बलवीर धाम के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के ग्रेवल रोड डालकर नवीन अवैध दुकानो के ढाचे खडे कर, बाउन्ड्रीवाल बनाकर अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही तस्दीक करवाकर किये जा रहे अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसोने के प्रयास को विफल किया गया।		04 बीघा	1
15	13	21.04.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार में बस्सी मे ही दूसरी जगह सरपंच की ढाणी, रेल्वे स्टेशन के पास करीब 05 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल मिट्टी की सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसोने के प्रयास को विफल किया गया।	05 बीघा		1

क्र.सं.	जोन	ध्वस्तीकरण की दिनांक	ध्वस्त अवैध कॉलोनी का पूरा विवरण	सरकारी भूमि मय माप	निजि भूमि मय माप	कुल अवैध कालोनी
1	14	01.02.2022	जोन–14 के क्षेत्राधिकार तहसील चाकसू के पास अवस्थित ग्राम–मानपुरा डुंगरी के खसरा नं. 615, 616, 617, 663 / 881, 664 / 880, 746, 749 से 754 तक करीब 10 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए बनायी गई मिट्टी ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को दिनांक 01.02.2022 को पुनः ध्वस्त किया गया।		10 बीघा	1
2	14	12.02.2022	जोन–14 के क्षेत्राधिकार वाटिका रोड पर अवस्थित ग्राम–कलवाला में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
3	14	12.02.2022	जोन–14 के क्षेत्राधिकार वाटिका के पास रिंग रोड से आगे अवस्थित करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये गोविन्द वाटिका के नाम से अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को 07.10.2021 को ध्वस्त किया गया था जिसे पुनः प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1
4	14	17.02.2022	जोन–14 के क्षेत्राधिकार वाटिका से आगे ग्राम–फतेहपुरा में अवस्थित करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही मिट्टी–ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		02 बीघा	1
5	14	17.02.2022	जोन–14 के क्षेत्राधिकार वाटिका से आगे ग्राम–फतेहपुरा में अवस्थित दुसरी करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		05 बीघा	1
6	14	01.04.2022	जोन–14 के क्षेत्राधिकार वाटिका से आगे कुम्हारियावास रोड ग्राम–फतेहपुरा में अवस्थित करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर सैज ग्रुप व इसी के पास दूसरी करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर मीरा ग्रुप के नाम से बिना भूरूपान्तरण कराये 02 नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		06 बीघा	2

7	14	01.04.2022	जोन–14 के क्षेत्राधिकार ग्राम–फतेहपुर के पास कुम्हारियावास रोड पर ही अवस्थित तीसरी करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर मारूती नगर के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		03 बीघा	1
8	14	01.04.2022	जोन–14 के क्षेत्राधिकार शिवदासपुरा के पास पदमपुरा रोड पर अवस्थित ग्राम–पाचूण्डा में करीब 12 बीघा निजी खातेदारी भूमि के खातेदार द्वारा जेडीए से 90बी करवायी गयीः परन्तु तकनीकी अनुमोदन नहीं करवाया गयाः उक्त कृषि भूमि पर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के स्पीड राईडर के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।		12 बीघा	1

भूखंड खरीदने वाले ग्राहको के लिए सूचना

- यदि आप किसी योजना मे भूखंड खरीद रहे है तो कृपया जेडीए के संबन्धित ज़ोन मे उक्त योजना की वैधता की जांच-परख कर ले|
- यदि आपको किसी अवैध कॉलोनी के बसने की जानकारी है तो कृपया जेडीए की प्रवर्तन शाखा से संपर्क करें|